Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to impart knowledge of Constitution of India to students in schools and higher educational institutions.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): हम भारत के लोग भारत को एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को "सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता" सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर संविधान सभा में 26 नवंबर, 1949 ई. को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था । हमारे संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, सांविधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य की नीति आदि का अधिकार सुरक्षित है । हम भारत के लोगों का संविधान के प्रति विश्वास व निष्ठा है । भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी अति आवश्यक है ।

अतः मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि देश के सभी विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में संविधान पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाए । जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी रख सके तथा उसका अनुपालन कर सके एवं राष्ट्र की एकता-अखण्डता बनाये रखने में सहयोग प्रदान कर सके ।